

संख्या :

दिनांक : अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

नगर निगम के कार्यालय आदेश संख्या D-1177/MC/AMC-PK/13 दिनांक 05.09.2013 व D-101/MC/AMC-PK/14 दिनांक 31.07.2014 द्वारा नगर निगम सीमा में स्थित आवासीय एवं अनावासीय भवनो के परिसर से कूड़ा संग्रहण हेतु यूजर चार्ज की निर्धारित की गई दरों एवं मदों में कतिपय संशोधन किये गये है। संशोधित मदों एवं दरों का विवरण संलग्न तालिका में अंकित किया गया है। उक्त दरें 01 सितम्बर, 2017 से लागू होंगी।

अतः सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि नगर निगम सीमा में स्थित आवासीय एवं अनावासीय भवनों से निकलने वाले कूड़े के संग्रहण (collection) एवं परिवहन (transportation) के सापेक्ष संलग्न तालिका के अनुसार संशोधित दरों पर यूजर चार्जेस की वसूली कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(उदयराज सिंह)
नगर आयुक्त

संख्या : D-890/M.C./A.M.C-PK/16

दिनांक : 30.08.17

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर नगर आयुक्त (एन/पीके)
2. नगर स्वास्थ्य अधिकारी
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
4. पर्यावरण अभियंता
5. समस्त जोनल अधिकारी/समस्त नगर अभियंता
6. महाप्रबंधक सी.एण्ड.डी.एस., उ.प्र. जल निगम लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, मे. ईकोग्रीन एनर्जी प्रा.लि., लखनऊ।

(उदयराज सिंह)
नगर आयुक्त

उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 573-क(दो) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना में लगाये जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) के सम्बन्ध में मा. नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 29.12.2012 में पारित संकल्प संख्या-38 द्वारा स्वीकृत दरों में संशोधन का प्रस्ताव

नगर निगम लखनऊ की परिधि में आने वाले भवन एवं कूड़ा उत्पादन करने वाली प्रत्येक इकाई से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने के सापेक्ष उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 573-क(दो) के अन्तर्गत प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) की दरें लगभग पाँच वर्ष पुरानी हैं जो नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 29.12.2012 में पारित संकल्प संख्या 38 द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

यूजर चार्ज वसूलने वाली कन्सेशनायर फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय श्रेणी के भवन/दुकान/परिसर ऐसे हैं जिनसे निकलने वाले कूड़े की मात्रा बहुत कम अथवा अधिक है, ऐसी स्थिति में नगर निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित दरें व्यावहारिक प्रतीत हो रही हैं तथा कतिपय श्रेणी के लिए पूर्व प्रस्ताव में दर निर्धारित नहीं की जा सकी जिसके कारण अनेक इकाईयों से यूजर चार्ज वसूलने में कठिनाईयां हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि कन्सेशनायर को भुगतान किये जाने वाले टिपिंग फीस में वृद्धि हो गयी है। जनवरी, 2016 से टिपिंग फीस रु. 1604/- प्रति मीट्रिक टन हो गयी है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में यूजर चार्ज में वृद्धि/संशोधित अपरिहार्य हो गया है। अतएव उपरोक्त व्यावहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार श्रेणियों में यूजर चार्ज (प्रयोक्ता प्रभार) की दरों में संशोधन प्रस्तावित है:-

प्रस्तावित नया संशोधित यूजर चार्ज

क्र. सं.	श्रेणी	संशोधित मासिक दरें	
आवासीय भवन हेतु -			
1	a	मलिन बस्ती में निवास करने वाले परिवार जो छोटे, एक कमरे वाले, एक मंजिला कच्चे मकान में रहते हैं।	40.00
	b	50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर निर्मित समस्त पक्के अर्द्धपक्के तथा कच्चे भवन (केवल एक मंजिला तक)	50.00
	c	50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित आवासीय भवन (केवल एक मंजिला तक)	100.00
	d	अपार्टमेन्ट के फ्लैट्स - प्रति फ्लैट	100.00
2	अनावासीय प्रयोजनों एवं भवनों हेतु 10 वर्गमीटर तक		
	a	तेलें/गुमटी/स्टाल आदि	100.00
	b	मोबाइल ईटेबल वैन इत्यादि	200.00
	c	कपड़े, जूता-चप्पल, स्पोर्ट्स, विजली पाटर्स एवं स्टेशनरी/कॉपी-किताब की दुकान	100.00
	d	प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स कार्यालय (वकील एवं डॉक्टर के चैम्बर)	100.00
	e	वाइन शॉप, मॉडल शॉप	200.00
	f	सेनेटरी की दुकान, हेयर ड्रेसर व जनरल मर्चेन्ट की दुकान	200.00
Note : उक्त दुकान का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु. 01/- प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।			

२

५

3	मिठाई की दुकान, बेकरी, गाड़ियों के सर्विस सेंटर		
	a	10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	300.00
	b	11 वर्गमीटर से 20 वर्गमीटर तक	500.00
	c	20 वर्गमीटर से 50 वर्गमीटर तक	1000.00
Note : उक्त में 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु. 02/- वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।			
4	पेट्रोल पम्प		1000.00
5	शैक्षिक संस्थान (1)		
	a	प्ले ग्रुप, नर्सरी, के0जी0, मदरसा एवं प्राइमरी	500.00
	b	प्राइमरी से हाईस्कूल	1000.00
	c	इण्टरमीडिएट तक	2000.00
6	शैक्षिक संस्थान (2)		
	a	डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान/मेडिकल कालेज	3000.00
Note : (1) उक्त शैक्षिक संस्थानों में स्थित कैन्टीन एवं हॉस्टल से यूजर चार्जस अलग से लिया जायेगा। (2) उक्त में 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु. 01/- प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।			
7	शैक्षिक संस्थाओं में स्थित कैन्टीन एवं हॉस्टल		
	a	कैन्टीन	रु. 1000 प्रति कैन्टीन
	b	हॉस्टल	रु. 25 प्रति कमरा
8	समस्त प्रकार के कोचिंग संस्थान :		200.00
9	बैंक, ऑडिटोरियम, सिनेमा घर, प्रिंटिंग प्रेस		
	a	प्रिंटिंग प्रेस, बैंक	1000.00
	b	ऑडिटोरियम, सिनेमा घर	1500.00
10	गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट 500 वर्गमीटर तक		3000.00
Note : उक्त में 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु. 02/- प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।			
11	मैरिज हॉल/बैक्वेट हाल/धर्मशाला/कामर्शियल लॉन (सभी सीजनों में)		
	a	500 वर्गमीटर तक	5000.00
	b	501 से 1000 वर्गमीटर तक	7000.00
Note : (1) उक्त में 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु. 01/- वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा। (2) क्रम 11 के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।			

1

1

12	हॉस्पिटल (उपलब्ध बेड संख्या के अनुसार किचन वेस्ट) नर्सिंग होम		
	a	01-10 बेड तक	1000.00
	b	11-20 बेड तक	1500.00
	c	21-30 बेड तक	2000.00
	d	30-40 बेड तक	2500.00
Note :		(1) 40 बेड के ऊपर रु0 20 प्रति बेड (2) क्रम 12 के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
13	क्लब	3000.00	
Note :		(1) उक्त में 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु. 01/- वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा। (2) क्रम 13 के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
14	नगर में स्थित बस स्टेशनों से कूड़ा उठाना		
	a	आलमबाग	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु. 1604 प्रति मी. टन
	b	कैसरबाग	
	c	चारबाग	
	d	गोमती नगर	
	e	यू.पी.एस.आर.टी.सी. कार्यशाला	
Note :		बस स्टेशन को समस्त कूड़ा एकत्रित कर एक स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।	
15	लखनऊ एयरपोर्ट (अमौसी)		
	a	इंटरनेशनल टर्मिनल	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु. 1604 प्रति मी. टन
	b	डोमेस्टिक टर्मिनल	
	c	गवर्नमेंट टर्मिनल	
Note :		एयरपोर्ट को समस्त कूड़ा एकत्रित कर एक स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।	
16	होटल, शॉपिंग मॉल		
	a	0 से 10 कमरे तक	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु. 1604 प्रति मी. टन
	b	11 से 30 कमरे तक	
	c	31 से 50 कमरे तक	
	d	51 से 75 कमरे तक	
Note :		क्रम 16a से 16d तक के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
17	सुपर मार्केट्स जैसे- बिग बाजार, स्पेन्सर, विशाल मेगा मार्ट, वी-मार्ट, ईजी-डे इत्यादि		
	a	100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु. 1604 प्रति मी. टन
	b	100 से 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	
	c	251 से 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	
Note :		क्रम 17a से 17c तक के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	

12

13


18	कम्पनी ऑफिस (पब्लिक लि, प्रा. लिमिटेड, बहुराष्ट्रीय इत्यादि)		
	a	100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (कार्पेट एरिया के आधार पर)	1000.00
	b	101 वर्गमीटर क्षेत्रफल से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (कार्पेट एरिया के आधार पर)	2000.00
Note : क्रम 18a तथा 18b के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।			
19	फैक्ट्री कारखाना, गोदाम व कोल्ड स्टोरेज		
	a	50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	1000.00 न्यूनतम
	b	51 वर्गमीटर से अधिक	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु. 1604 प्रति मी टन
Note : क्रम 19a तथा 19b के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।			
20	मेला, महोत्सव, नुमाइश, प्रदर्शनी		
	a	04 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	20.00 प्रतिदिन
	b	04 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक	30.00 प्रतिदिन
Note : यदि मेला समिति है तो वास्तविक गणना के आधार पर समिति को समस्त कूड़ा एक स्थान पर एकत्रित करके देना होगा।			
21	विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले भंडारे/लंगर जिसमें अतिरिक्त कूड़ा जेनरेट होता है।		
	a	केवल शरबत/पानी वितरण	100.00 प्रतिदिन
	b	केवल प्रसाद (बूँदी) वितरण	200.00 प्रतिदिन
	c	भोजन वितरण	500.00 प्रतिदिन
22	खाद्य सामग्री विक्रेता (रोड साइड फुटकर दुकान, फास्ट फूड आदि)		
	a	04 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	200.00
	b	04 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक	300.00
23	साप्ताहिक बाजार प्रतिदिन की दर से		
	a	ठेला एवं स्थिर (04 वर्गमीटर तक)	20.00 प्रतिदिन
	b	स्थिर (4 वर्गमीटर से अधिक)	30.00 प्रतिदिन
24	फलमण्डी, ग्रेन मार्केट, सब्जी मण्डी, मछली मण्डी आदि	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु. 1604 प्रति मी टन	
Note : उक्त क्रम 23 एवं 24 के उपभोक्ता कूड़ा एकत्र करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।			


नोट-

1. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश संख्या- 199 to 2014 के क्रम में पृष्ठ संख्या- 61 एवं 62 पर उल्लिखित बिन्दु क्रमांक (18) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, होटल, नागरिक, कसाई खाना, सब्जी मण्डी आदि कूड़े को नाली, नालों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते हुए पाए जाने पर पर्यावरण मुआवजा रु. 10,000 (दस हजार) का दण्ड आरोपित करने का प्राविधान है।
2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुसार सार्वजनिक स्थान, सड़क, नाली, नाला, पार्क, खाली प्लाट इन सब जगहों पर कूड़ा फेंकना, डालना एवं जलाना दण्डनीय अपराध है।


सूचना :

1. उपरोक्त दरें केवल कूड़ा एकत्रित करने हेतु लागू है। अन्य सुविधाएँ जैसे झाड़ू लगाना, नाली साफ करना तथा टॉयलेट सफाई आदि इसमें सम्मिलित नहीं है।
2. उक्त भुगतान समस्त श्रेणियों को करना है। पालन न किये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. उपरोक्त सुविधा पर्यावरण को स्वच्छ एवं नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। एकत्रित किये गये कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मोहान रोड पर शिवरी ग्राम स्थित प्रोसेसिंग प्लान्ट में किया जायेगा।


30/8/2017
(पी.के. श्रीवास्तव)
अपर नगर आयुक्त


(उदयरज सिंह)
नगर आयुक्त

संकल्प : उपरोक्त प्रस्ताव बहैसियत नगर निगम सदन स्वीकृत/पारित किया जाता है।


30/8/17
प्रशासक
नगर निगम लखनऊ